

[दि एप्रोप्रिएशन (वोट आन अकाउन्ट) बिल, 2004 का हिन्दी अनुवाद]

## विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004

वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए  
भारत की संचित निधि में से कतिपय  
राशियां निकाले जाने का उपबंध  
करने के लिए  
विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2004 है । संक्षिप्त नाम ।
2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग बत्तीस खरब, वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए भारत की दस अरब, उनहत्तर करोड़, तिरानवे लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान संचित निधि में से 32,10,69,93,00,000 रुपए का निकाला जाना।
3. इस अधिनियम द्वारा संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं विनियोग । और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।
4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रति निर्देश, 8 जनवरी, 2004 के ठीक पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और अनुसूची में मंत्रालयों उस तारीख को या उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय-समय पर यथा गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के विभागों के प्रति निर्देशों का 10 प्रति निर्देश हैं । अर्थान्वयन ।

**अनुसूची**  
(धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए)

1	2		3			5
			निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग	
		रु०	रु०	रु०		
1	कृषि और सहकारिता विभाग	राजस्व	12,03,13,00,000	..	12,03,13,00,000	
		पूंजी	31,58,00,000	69,90,00,000	1,01,48,00,000	
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	राजस्व	5,84,44,00,000	..	5,84,44,00,000	10
3	पशुपालन और डेरी विभाग	राजस्व	2,76,52,00,000	..	2,76,52,00,000	
		पूंजी	4,64,00,000	..	4,64,00,000	
4	कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय	राजस्व	2,41,34,00,000	..	2,41,34,00,000	
		पूंजी	54,00,000	..	54,00,000	15
5	परमाणु ऊर्जा	राजस्व	6,03,80,00,000	7,00,000	6,03,87,00,000	
		पूंजी	5,01,11,00,000	..	5,01,11,00,000	
6	न्यूक्लीयर विद्युत स्कीमें	राजस्व	4,37,67,00,000	..	4,37,67,00,000	
		पूंजी	7,52,54,00,000	..	7,52,54,00,000	
7	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	राजस्व	27,19,00,000	..	27,19,00,000	20
		पूंजी	11,67,00,000	..	11,67,00,000	
8	उर्वरक विभाग	राजस्व	60,78,40,00,000	1,00,000	60,78,41,00,000	
		पूंजी	43,99,00,000	..	43,99,00,000	
9	नागर विमानन मंत्रालय	राजस्व	1,47,37,00,000	..	1,47,37,00,000	
		पूंजी	15,02,00,000	..	15,02,00,000	25
10	कोयला मंत्रालय	राजस्व	1,06,61,00,000	..	1,06,61,00,000	
		पूंजी	42,83,00,000	..	42,83,00,000	
11	खान मंत्रालय	राजस्व	2,02,21,00,000	3,00,000	2,02,24,00,000	
		पूंजी	58,76,00,000	..	58,76,00,000	
12	वाणिज्य विभाग	राजस्व	5,95,87,00,000	13,00,000	5,96,00,00,000	30
		पूंजी	1,75,33,00,000	..	1,75,33,00,000	
13	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	राजस्व	2,00,13,00,000	8,00,000	2,00,21,00,000	
14	डाक विभाग	राजस्व	20,10,12,00,000	1,00,000	20,10,13,00,000	
		पूंजी	1,05,80,00,000	..	1,05,80,00,000	35
15	दूर-संचार विभाग	राजस्व	6,69,67,00,000	..	6,69,67,00,000	
		पूंजी	33,00,000	..	33,00,000	
16	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	2,45,33,00,000	..	2,45,33,00,000	
		पूंजी	16,50,00,000	..	16,50,00,000	
17	उपभोक्ता मामले विभाग	राजस्व	13,78,00,000	..	13,78,00,000	40
		पूंजी	3,00,00,000	..	3,00,00,000	
18	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	राजस्व	95,08,93,00,000	1,00,000	95,08,94,00,000	
		पूंजी	1,57,41,00,000	..	1,57,41,00,000	
19	रक्षा मंत्रालय	राजस्व	18,70,76,00,000	9,00,000	18,70,85,00,000	45
		पूंजी	1,45,27,00,000	..	1,45,27,00,000	
20	रक्षा पेंशन	राजस्व	37,49,91,00,000	9,00,000	37,50,00,00,000	
21	रक्षा सेवाएं—सेना	राजस्व	94,76,36,00,000	4,64,00,000	94,81,00,00,000	
22	रक्षा सेवाएं—नौसेना	राजस्व	18,08,40,00,000	81,00,000	18,09,21,00,000	50
23	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	राजस्व	29,31,86,00,000	41,00,000	29,32,27,00,000	
24	रक्षा आयुध कारखाने	राजस्व	9,43,54,00,000	40,00,000	9,43,94,00,000	
25	रक्षा सेवाएं—अनुसंधान और विकास	राजस्व	7,84,31,00,000	7,00,000	7,84,38,00,000	
26	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिचय	पूंजी	74,91,00,00,000	3,29,00,000	74,94,29,00,000	
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग	राजस्व	3,46,19,00,000	..	3,46,19,00,000	55
		पूंजी	18,55,00,000	32,83,00,000	51,38,00,000	
28	विनिवेश मंत्रालय	राजस्व	55,00,00,000	..	55,00,00,000	
29	पर्यावरण और वन मंत्रालय	राजस्व	4,28,15,00,000	..	4,28,15,00,000	
		पूंजी	5,58,00,000	..	5,58,00,000	60
30	विदेश मंत्रालय	राजस्व	10,77,55,00,000	1,00,000	10,77,56,00,000	
		पूंजी	1,25,54,00,000	..	1,25,54,00,000	

1	2	3			
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां			
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग	
5		₹0	₹0	₹0	
31	आर्थिक कार्य विभाग	राजस्व	8,52,82,00,000	..	8,52,82,00,000
		पूंजी	5,14,25,00,000	..	5,14,25,00,000
32	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	राजस्व	3,11,27,00,000	21,00,000	3,11,48,00,000
		पूंजी	1,63,83,00,000	..	1,63,83,00,000
10	वित्तीय संस्थाओं को संदाय	राजस्व	11,71,80,00,000	..	11,71,80,00,000
		पूंजी	3,73,71,00,000	..	3,73,71,00,000
	<b>भारित</b> -- ब्याज अदायगियां	राजस्व	..	4,44,99,95,00,000	4,44,99,95,00,000
35	राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र शासनों को अंतरण	राजस्व	89,31,52,00,000	55,45,00,00,000	1,44,76,52,00,000
15	सरकारी सेवकों को उधार आदि	पूंजी	..	89,22,64,00,000	89,22,64,00,000
36	<b>भारित</b> -- ऋण का प्रतिसंदाय	पूंजी	2,00,00,00,000	..	2,00,00,00,000
		पूंजी	..	15,10,92,82,00,000	15,10,92,82,00,000
38	व्यय विभाग	राजस्व	8,56,00,000	..	8,56,00,000
39	पेंशन	राजस्व	15,65,99,00,000	4,61,00,000	15,70,60,00,000
20	भारतीय संपरीक्षा और लेखा विभाग	राजस्व	3,52,85,00,000	10,55,00,000	3,63,40,00,000
		पूंजी	3,67,00,000	..	3,67,00,000
41	राजस्व विभाग	राजस्व	2,13,40,00,000	1,00,000	2,13,41,00,000
		पूंजी	2,37,00,000	..	2,37,00,000
42	प्रत्यक्ष कर	राजस्व	3,55,32,00,000	1,00,000	3,55,33,00,000
		पूंजी	35,00,00,000	..	35,00,00,000
43	अप्रत्यक्ष कर	राजस्व	4,19,03,00,000	33,00,000	4,19,36,00,000
25		पूंजी	67,94,00,000	..	67,94,00,000
44	कंपनी कार्य विभाग	राजस्व	18,00,00,000	..	18,00,00,000
		पूंजी	1,00,00,000	..	1,00,00,000
45	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	राजस्व	38,56,00,000	..	38,56,00,000
46	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	8,84,81,00,000	..	8,84,81,00,000
30		पूंजी	1,18,57,00,000	..	1,18,57,00,000
47	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयूष)	राजस्व	75,07,00,000	..	75,07,00,000
		पूंजी	17,00,000	..	17,00,000
35	परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	22,32,12,00,000	..	22,32,12,00,000
49	भारी उद्योग विभाग	राजस्व	53,29,00,000	..	53,29,00,000
		पूंजी	1,57,04,00,000	..	1,57,04,00,000
50	लोक उद्यम विभाग	राजस्व	10,88,00,000	..	10,88,00,000
51	गृह मंत्रालय	राजस्व	2,35,73,00,000	2,00,000	2,35,75,00,000
40		पूंजी	9,35,00,000	..	9,35,00,000
52	मंत्रिमंडल	राजस्व	88,15,00,000	4,00,000	88,19,00,000
		पूंजी	2,33,00,000	..	2,33,00,000
53	पुलिस	राजस्व	36,34,80,00,000	1,10,00,000	36,35,90,00,000
		पूंजी	4,98,65,00,000	5,78,00,000	5,04,43,00,000
45	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	राजस्व	2,52,13,00,000	1,00,000	2,52,14,00,000
55	संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अन्तरण	राजस्व	2,02,34,00,000	..	2,02,34,00,000
		पूंजी	1,36,32,00,000	..	1,36,32,00,000
56	प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग	राजस्व	20,01,56,00,000	..	20,01,56,00,000
57	माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग	राजस्व	16,85,79,00,000	..	16,85,79,00,000
50		पूंजी	1,00,000	..	1,00,000
58	महिला और बाल विकास विभाग	राजस्व	11,48,65,00,000	..	11,48,65,00,000
59	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राजस्व	4,21,12,00,000	1,00,000	4,21,13,00,000
		पूंजी	83,62,00,000	..	83,62,00,000
60	श्रम मंत्रालय	राजस्व	3,48,57,00,000	1,00,000	3,48,58,00,000
55		पूंजी	2,00,000	..	2,00,000
61	निर्वाचन आयोग	राजस्व	3,83,00,000	..	3,83,00,000
62	विधि और न्याय	राजस्व	12,19,90,00,000	..	12,19,90,00,000
		पूंजी	34,00,000	..	34,00,000

1	2	3			5	
		निम्नलिखित से अनधिक राशियां				
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारत	योग		
		₹0	₹0	₹0		
	<b>भारत</b> — भारत का उच्चतम न्यायालय	राजस्व	..	11,56,00,000	11,56,00,000	
64	गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	राजस्व	1,69,74,00,000	..	1,69,74,00,000	
		पूंजी	32,01,00,000	..	32,01,00,000	
65	महासागर विकास विभाग	राजस्व	76,36,00,000	..	76,36,00,000	
		पूंजी	33,00,000	..	33,00,000	10
66	संसदीय कार्य मंत्रालय	राजस्व	1,96,00,000	..	1,96,00,000	
67	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	राजस्व	49,38,00,000	..	49,38,00,000	
		पूंजी	38,00,000	3,00,00,000	3,38,00,000	
68	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	राजस्व	11,91,55,00,000	..	11,91,55,00,000	
69	योजना मंत्रालय	राजस्व	43,63,00,000	..	43,63,00,000	15
70	विद्युत मंत्रालय	राजस्व	7,01,29,00,000	..	7,01,29,00,000	
		पूंजी	8,79,20,00,000	..	8,79,20,00,000	
	<b>भारत</b> —राष्ट्रपति के कर्मचारिवृन्द, घरेलू सामान और भत्ते	राजस्व	..	5,03,00,000	5,03,00,000	
72	लोक सभा	राजस्व	67,60,00,000	13,00,000	67,73,00,000	20
73	राज्य सभा	राजस्व	29,97,00,000	7,00,000	30,04,00,000	
	<b>भारत</b> —संघ लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	17,33,00,000	17,33,00,000	
75	उपराष्ट्रपति का सचिवालय	राजस्व	44,00,000	..	44,00,000	
76	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	राजस्व	17,91,92,00,000	13,00,000	17,92,05,00,000	
		पूंजी	24,10,98,00,000	1,80,00,000	24,12,78,00,000	25
77	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	60,54,29,00,000	..	60,54,29,00,000	
		पूंजी	2,50,00,000	..	2,50,00,000	
78	भू-संसाधन विभाग	राजस्व	4,21,49,00,000	..	4,21,49,00,000	
79	पेय जलापूर्ति विभाग	राजस्व	13,20,46,00,000	..	13,20,46,00,000	
80	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	4,06,50,00,000	1,00,000	4,06,51,00,000	30
		पूंजी	23,57,00,000	..	23,57,00,000	
81	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	राजस्व	4,31,97,00,000	..	4,31,97,00,000	
		पूंजी	1,37,00,000	..	1,37,00,000	
82	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व	1,07,82,00,000	..	1,07,82,00,000	35
83	पोत परिवहन मंत्रालय	राजस्व	1,82,02,00,000	..	1,82,02,00,000	
		पूंजी	1,02,54,00,000	6,67,00,000	1,09,21,00,000	
84	लघु उद्योग मंत्रालय	राजस्व	1,33,13,00,000	..	1,33,13,00,000	
		पूंजी	5,00,00,000	..	5,00,00,000	
85	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	राजस्व	4,57,14,00,000	..	4,57,14,00,000	40
		पूंजी	43,25,00,000	..	43,25,00,000	
86	अंतरिक्ष विभाग	राजस्व	7,22,31,00,000	13,00,000	7,22,44,00,000	
		पूंजी	1,88,11,00,000	12,00,000	1,88,23,00,000	
87	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	राजस्व	8,61,80,00,000	..	8,61,80,00,000	45
		पूंजी	6,95,00,000	..	6,95,00,000	
88	इस्पात मंत्रालय	राजस्व	22,70,00,000	..	22,70,00,000	
		पूंजी	5,67,00,000	..	5,67,00,000	
89	वस्त्र मंत्रालय	राजस्व	4,41,98,00,000	..	4,41,98,00,000	50
		पूंजी	1,51,56,00,000	23,00,000	1,51,79,00,000	
90	संस्कृति विभाग	राजस्व	2,21,78,00,000	..	2,21,78,00,000	
		पूंजी	15,17,00,000	..	15,17,00,000	
91	पर्यटन विभाग	राजस्व	75,75,00,000	..	75,75,00,000	
		पूंजी	98,17,00,000	..	98,17,00,000	55
92	जनजाति कार्य मंत्रालय	राजस्व	45,15,00,000	3,23,14,00,000	3,68,29,00,000	
		पूंजी	14,42,00,000	..	14,42,00,000	
93	अंदमान और निकोबार द्वीप	राजस्व	3,02,33,00,000	1,00,000	3,02,34,00,000	
		पूंजी	69,44,00,000	..	69,44,00,000	

1		2		3		
अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित से अनधिक राशियां				
		संसद् द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग		
		₹0	₹0	₹0		
5						
94	चंडीगढ़	राजस्व	3,00,81,00,000	10,31,00,000	3,11,12,00,000	
		पूंजी	50,78,00,000	8,00,000	50,86,00,000	
95	दादरा और नागर हवेली	राजस्व	1,51,27,00,000	..	1,51,27,00,000	
		पूंजी	11,83,00,000	..	11,83,00,000	
10 96	दमण और दीव	राजस्व	82,50,00,000	..	82,50,00,000	
		पूंजी	9,93,00,000	..	9,93,00,000	
97	लक्षद्वीप	राजस्व	72,89,00,000	..	72,89,00,000	
		पूंजी	12,68,00,000	..	12,68,00,000	
98	शहरी विकास विभाग	राजस्व	3,20,58,00,000	4,89,00,000	3,25,47,00,000	
15		पूंजी	5,98,64,00,000	3,00,00,000	6,01,64,00,000	
99	लोक निर्माण	राजस्व	2,29,47,00,000	33,00,000	2,29,80,00,000	
		पूंजी	80,16,00,000	33,00,000	80,49,00,000	
100	लेखन सामग्री और मुद्रण	राजस्व	49,02,00,000	..	49,02,00,000	
		पूंजी	7,00,000	..	7,00,000	
20 101	शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग	राजस्व	1,50,38,00,000	..	1,50,38,00,000	
		पूंजी	1,03,85,00,000	..	1,03,85,00,000	
102	जल संसाधन मंत्रालय	राजस्व	2,64,46,00,000	..	2,64,46,00,000	
		पूंजी	19,16,00,000	1,17,00,000	20,33,00,000	
25 103	युवा मामले और खेल मंत्रालय	राजस्व	1,50,59,00,000	..	1,50,59,00,000	
		पूंजी	4,75,00,000	..	475,00,000	
योग			<b>11,04,84,48,00,000</b>	<b>21,05,85,45,00,000</b>	<b>32,10,69,93,00,000</b>	

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 116 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है जो, वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग के लिए भारत की संचित निधि पर भारत व्यय और रेलों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के प्राक्कलित व्यय के संबंध में लोक सभा द्वारा अग्रिम रूप से किए गए अनुदानों को चुकाने के लिए आवश्यक हैं।

जसवंत सिंह

---

### भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री जसवंत सिंह द्वारा लोक सभा के महासचिव को 30 जनवरी, 2004 को भेजे गए पत्र सं० फा० 2(43)बी(डी)/2003 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2004 की विषय-वस्तु से अवगत होने पर वित्तीय वर्ष 2004-05 के एक भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने के लिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 116(2) के साथ पठित अनुच्छेद 117(1) और (3) के अधीन लोक सभा में विधेयक के पुरःस्थापित किए जाने और उस पर विचार किए जाने की सिफारिश करते हैं।